(31)

विलोपित

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0, ग्वालियर

प्र0क्र0 विविध /2018/ग्वालियर/भू–रा0
विविध-6387/2018/दतिया/भू०रा०

श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा
द्वारा आज 5/12/18
प्रस्तुत! प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 10/12/18
क्लर्क ऑफ कोर्ट 5/12/18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

5/12/18

1– लक्ष्मीनारायण पुत्र कृपाराम

2– गुलाब सिंह पुत्र छुट्टू

3– राजा सिंह 4–लाखन सिंह

5– अटलबिहारी पुत्रगंण लक्ष्मीनारायण

6– बाबूलाल पुत्र नारायणदास

7– राजेन्द्र सिंह पुत्र रायसिंह

8– महिला कस्तूरी पत्नी स्व0 बल्लू यादव

9– सुश्री कृष्णा पुत्री बल्लू यादव

10– बाबू सिंह पुत्र रामदयाल

11– भगवान सिंह पुत्र भोपत सिंह

12– किलेदार पुत्र प्रीतम सिंह

13– यशपाल पुत्र प्रीतम सिंह

14– जसवंत सिंह पुत्र प्रीतम सिंह

15– महिला रवी देवी बेवा चन्द्रपाल

16– आकाश पुत्र स्व0 चन्द्रपाल यादव

17– रामबिहारी

18– रामकुमार

19– रामनिवास पुत्रगंण किशोरी

20–महिला कुशमादेवी पत्नी स्व0 रामसेवक

21– रामकुमार पुत्र रामसेवक

22–अनीता पत्नी स्व0 सुनील पुत्र रामसेवक

23– श्रीलाल पुत्र रामदयाल

24– अटल बिहारी पुत्र श्रीलाल

25– बबलू पुत्र श्रीलाल

26– राममिलन पुत्र श्रीलाल

27– राजकुमार पुत्र नाथूराम

28– सुरेश पुत्र नाथूराम

29– गुड्डी पुत्री नाथूराम

30– कोमल सिंह पुत्र भवानी

31– शोभाराम पुत्र भवानी

32– बहादुर पुत्र भवानी

33– इन्दर सिंह पुत्र बाबूलाल

34– लालाराम पुत्र बाबूलाल

35- लक्ष्मण पुत्र बाबूलाल

35– हरीमोहन पुत्र रतीराम

36– सुरेश कुमार पुत्र रतीराम

37– जहार सिंह पुत्र रतीराम

निवासीगंण – ग्राम गोदन,

तहसील भाण्डेर, जिला दतिया, म0प्र0

––– आवेदकगंण

विरूद्व

म0प्र0 शासन

––– अनावेदक

<u>भूल सुधार वावत् आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता,1959</u>

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक विविध–6387 / 2018 / दतिया / भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
6 .12.18	आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित होकर आवेदन अंतर्गत धारा 32 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया है कि इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1196–दो / 2006 एवं निगरानी 1197–दो / 2006 में पारित आदेश दिनांक 16.11.18 जिसमें भूलवश टंकण की त्रुटि से आदेश के पृष्ठ कमांक 2 में आवेदकगण में **लक्ष्मण पुत्र बाबूसिंह** का नाम छूट गया है अतः आवेदकगण में पक्षकार कमांक 35 लक्ष्मण पुत्र बाबूसिंह का नाम जोड़ने का अनुरोध किया गया है। इसी प्रकार पृष्ठ कमांक 3 में पैराग्राफ 2 की लाइन नम्बर 2 में **(जो इस प्रकरण में पक्षकार बने है)** इन शब्दों को विलोपित करने का अनुरोध किया गया है। इसी प्रकार पृष्ठ कमांक 6 के पैराग्राफ 3 की लाइन नं0 2 में **राजा दुलइया के स्थान पर तखतरानी** किये जाने का अनुरोध किया गया है। इसी प्रकार पेज कमांक–8 के पैराग्राफ 1 की लाइन नं0 4 में **13.10.65 के स्थान पर 13.10.64** किये जाने का अनुरोध किया गया है। इसी प्रकार पृष्ठ कमांक 8 के पैराग्राफ 1 की नीचे से लाइन पं0 4 में **6 से 32 तक पक्षकार बनाये गये हैं** उनके स्थान पर आवेदकगण किये जाने का अनुरोध किया गया है।	

प्रकरण क्रमांक विविध–6387/2018/दतिया/भू.रा.

2–आवेदकगण के अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया। आवेदकगण के अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण क्रमांक निगरानी 1196–दो/2006 एवं निगरानी 1197–दो/2006 में पारित आदेश दिनांक 16.11.18 जिसमें भूलवश टंकण की त्रुटि से आदेश के पृष्ठ क्रमांक 2 में आवेदकगण में **लक्ष्मण पुत्र बाबूसिंह** का नाम छूट गया है अतः आवेदकगण में पक्षकार के रूप में **लक्ष्मण पुत्र बाबूसिंह** का नाम जोड़ने का आदेश दिया जाता है। इसी प्रकार पृष्ठ क्रमांक 3 में पैराग्राफ 2 की लाइन नम्बर 2 में **(जो इस प्रकरण में पक्षकार बने है)** इन शब्दों को विलोपित करने का आदेश दिया जाता है। इसी प्रकार पृष्ठ क्रमांक 6 के पैराग्राफ 3 की लाइन नं0 2 में **राजा दुलइया के स्थान पर तखतरानी पढ़ा जावे।** इसी प्रकार पेज क्रमांक–8 के पैराग्राफ 1 की लाइन नं0 4 में **13.10.65 के स्थान पर 13.10.64** पढ़ा जावे। इसी प्रकार पृष्ठ क्रमांक 8 के पैराग्राफ 1 के नीचे से लाइन पं0 4 **में 6 से 32 तक पक्षकार बनाये गये हैं** उनके स्थान पर आवेदकगण पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश का मूल अंग मानी जावेगी। शेष आदेश यथावत रहेगा।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य